

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 115/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
कलावती पुत्री बनवारी जाति गोसाई(गुंसाई) निवासी चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ़(राज0)।

-वादी

बनाम
तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जनलाल वर्मा वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 30.04.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री कृष्णकुमार वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि ढाणी मायला के खसरा नम्बर 1372/1121 की 1.8970 बारांनी भूमि में दर्ज वादीया का नाम कलावती पत्नी भूपगर जाति गोसाई(गुंसाई) साकिन मायला के स्थान पर कलावती पुत्री बनवारी जाति गोसाई(गुंसाई) साकिन चक 22 एजी किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.04.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
जिला हनुमानगढ़

